संख्या– /I/2018/05/23/2004

प्रेषक,

भूपेश चन्द्र तिवारी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
ऊर्जा सैल,
देहरादून।

ऊर्जा अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांक, 2 अगस्त, 2018

विषयः– <u>ऊर्जा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के अन्तर्गत "ऊर्जा प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट ऑफिस" में सहायक अभियन्ता (तकनीकी) के 02 पदों के सृजन के सम्बन्ध में।</u>

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक 59/निदे.ऊ.सै./ऊ0सै0/ऊर्जा सैल दिनांक 09.04.2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें आपके द्वारा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जल विद्युत परियोजनाओं के बढते कार्य, दायित्वों तथा उनके कियान्वयन, अनुश्रवण एवं डी0पी0आर0 सम्बन्धी कार्यों के निष्पादन हेतु शासनादेश सं0 130/I/2015/05/23/2004 दिनांक 31.03.2015 के तालिका–बी में कमांक 8 एवं 9 पर उल्लिखित कमशः सहायक अभियन्ता (सिविल) एवं सहायक अभियन्ता (विद्युत/यांत्रिक) के सृजित चार–चार (अर्थात कुल 08 पद) पदों में से एक–एक पद (अर्थात कुल 02 पद) समाप्त करते हुये सहायक अभियन्ता (तकनीकी) के 02 पद सृजित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2– उक्त के संदर्भ में सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश सं0 130/I/2015/05/23/2004 दिनांक 31.03.2015 की तालिका–बी में कमांक 8 पर उल्लिखित सहायक अभियन्ता (सिविल) के 04 पदों में से 01 पद तथा कमांक 9 पर उल्लिखित सहायक अभियन्ता (विद्युत/यांत्रिक) के 04 पदों में से 01 पद को समाप्त करते हुये सहायक अभियन्ता (तकनीकी) के 02 पद का सृजन दिनांक 28.02.2019 तक नितान्त अस्थाई रूप से किये जाने की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है।

3– सहायक अभियन्ता (तकनीकी) के पद हेतु तकनीकी अर्हता, अनुभव, वेतनमान एवं भर्ती का स्रोत निम्नानुसार होंगे :–

क0 सं0	पदनाम	योग्यता	अनुभव	वेतनमान	पदों की संख्या	भर्ती का स्रोत
1	2	3	4	5	6	7
01	सहायक अभियन्ता (तकनीकी)	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से सिविल/इलेक्ट्रिकल/मैकेनिकल अभियांत्रिकी में बी0ई0/बी0टेक0/बी0एस0सी0 (इंजी0)/एएमआईई (सेक्शन ए एवं बी)।	तकनीकी अर्हता के पश्चात किसी सरकारी विभाग/पी.एस.यू/स्वपोषित संस्थान/निजी संस्थान में ऊर्जा क्षेत्र/इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में न्यूनतम 02 वर्ष का अनुभव।	**प्रतिनियुक्ति पर** 15,600–39,100 ग्रेड पे–5400 **आऊटसोर्स/संविदा हेतु** रू0 50,000 प्रतिमाह नियत।	02	**प्रतिनियुक्ति/आऊटसोर्स/संविदा**

4– उक्त संशोधन के अतिरिक्त शासनादेश सं0 130/I/2015/05/23/2004 दिनांक 31.03. 2015 के सभी शर्तें यथावत रहेगी।

5– यह शासनादेश वित्त विभाग के अ0शा0सं0 520/XXVII(7)/18 दिनांक 01 अगस्त, 2018 के द्वारा दी गयी सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

(भूपेश चन्द्र तिवारी)
अपर सचिव।

पृ0सं0: 900 /I/2018/05/23/2004, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड।
3. मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
4. प्रबन्ध निदेशक, यूजेवीएन लि0, देहरादून।
5. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
6. एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्रकाश चन्द्र जोशी)
उप सचिव।